नाबार्ड

परिपत्र सं EC No. 190 पुनर्वित्त DoR 51 .2019-20 21 जून June 2019

सं.राबैं.पुनर्वित्त-नीति(बुनकर) No.NB.DoR-Policy(Weavers)/920 /एA-7(P)/2019-20

प्रबंध निदेशक The Managing Director

सभी राज्य सहकारी बैंक All State Cooperative Banks

प्रिय महोदय Dear Sir

प्राथमिक/शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों आदि की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु राज्य सहकारी बैंकों/ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तपोषण - वर्ष 2019–20 हेतु नीति Short Term Credit Limits to StCBs/CCBs for Financing the Working Capital requirements of Primary/Apex/ Regional Weavers Cooperative Societies, etc. – Policy for the year 2019-20

कृपया 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं 73/पुनर्वित्त-23/ 2014 के साथ पठित 16 मई 2018 का हमारा परिपत्र सं 110 / पुनर्वित्त - 36 /2018 देखें जिसके साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के अधीन प्राथमिक/शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों आदि की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु राज्य सहकारी बैंकों/	Please refer to our Circular No. 110/DoR-36/2018 dated 16 May 2018 read with Circular No.73/DoR-23/2014 dated 23 April 2014 communicating NABARD's policy for F. Y. 2018-19 for provision of short-term credit limits to State Cooperative Banks/Central Cooperative Banks for financing working capital requirements of Primary /Apex /Regional Weavers Cooperative Societies under Sec 21(1) of

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट नं. सी '24', जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbi - 400 051. • Tel. 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : cvc@nabard.org

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तपोषण के लिए अल्पलावधि ऋण सीमाओं के प्रावधान की सूचना दी गई है. वर्ष 2019-20 के लिए भी मोटे तौर पर इसी नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए पात्रता संबंधी मानदंड अनुबंध में दिए गए हैं.	NABARD Act, 1981. It has been decided to continue broadly with the same policy for the year 2019-20 also. The eligibility criteria pertaining to this policy for the current financial year is given in Annexure.
2. राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड का पुनर्वित्त न्यूनतम 7.9% प्रति वर्ष या समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर से दिया जाएगा. तथापि, 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं.73/पुनर्वित्त-23/2014 में इंगित नियम और शर्तों के विभिन्न मानदंडों पर अवधि की गणना तदनुसार परिवर्तित होगी.	2. NABARD's refinance to State Cooperative Banks will be at an interest rate of 7.9% p.a. minimum or such other rate as decided by NABARD from time to time. However, the period for reckoning on various parameters of terms and conditions and quantum of refinance as indicated in Circular No.73/DoR-23/2014 dated 23 April 2014 will undergo changes accordingly.
3. कृपया पावती दें.	3. Kindly acknowledge receipt of the same

भवदीय Yours faithfully

(जी आर चिंताला G. R. Chintala)

मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager

अनुलग्नक Encl : यथोपरि As above

अनुबंध Annexure

प्राथमिक/शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों आदि की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु राज्य सहकारी बैंकों/ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तपोषण का प्रावधान - वर्ष 2019–20 हेतु नीति Provision of Short Term Credit Limits to StCBs/CCBs for Financing the Working Capital requirements of Primary/Apex/ Regional Weavers Cooperative Societies, etc. – Policy for the year 2019-20

1. **राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए पात्रता मानदंड Eligibility Criteria for StCBs/CCBs:**

(क A) लेखा परीक्षा Audit

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सहकारी बैंकों/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लेखा-परीक्षा पूरी होनी चाहिए और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित वित्तीय विवरणियों सहित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जानी चाहिए. साथ ही, 31 मार्च 2019 की राज्य सहकारी बैंकों की लेखा-परीक्षा 30 सितंबर 2019 तक पूरी हो जानी चाहिए.

Audit of StcB / CCBs for the year 2017-18 should have been completed and the relative audit reports along with financial statements should have been received by the concerned RO of NABARD. Further, the audit of State Cooperative Banks as on 31.03.2019 should be completed by 30.09.2019.

(ख) सीआरएआर मानदंड CRAR norms

निम्नलिखित सीआरएआर शर्तों को पूरा करने वाले सभी लाइसेंसधारी (अनुसूचित/ग़ैर-अनुसूचित)राज्य सहकारी बैंक और मध्यवर्ती सहकारी बैंक अल्पावधि (बुनकर) नीति के अधीन पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

All licensed StCBs (Scheduled / Non Scheduled) and CCBs complying with CRAR conditions mentioned below would be eligible for refinance under ST(Weavers)

1. केवल (31 मार्च 2018) को 9% और इससे अधिक सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक(प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के मामले में) पात्र होंगे

   StCBs / CCBs having CRAR of 9% and above only (as on 31.03.2018), will be eligible (in case of PWCS).

2. 9% और इससे अधिक सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक किन्तु इनसे सम्बद्ध ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का सीआरएआर यदि 9% से कम हो तो, ऐसे राज्य सहकारी बैंकों को इन ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए (प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के मामले में) ऋण सीमा उपलब्ध नहीं होगी.
   In case of StCBs with CRAR of 9 % and above but individual CCBs with less than 9 % no credit limit will be available on behalf of such CCBs (in case of PWCS).
3. 9% से कम सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक नए पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं होंगे

   StCB with CRAR less than 9 % would not be eligible for fresh refinance.

ग़ैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को ऋण सीमाएं Limits to non-scheduled StCBs

सीआरएआर संबंधी उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले ग़ैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(3)(क) के अधीन या इसी अधिनियम की धारा 21(2)(i) के अधीन सरकरी / अनुमोदित प्रतिभूतियों के समक्ष और / अथवा इसी अधिनियम की धारा 33 के अधीन अनुसूचित बैंकों के सावधि जमा रसीदों के गिरवी के समक्ष ऋण सीमाओं की स्वीकृति के लिए पात्र होंगे.

Non-scheduled StCBs which fulfill the CRAR criteria as provided above, will be eligible for sanction of credit limits against Government guarantee under Sec. 21(3)(a) of NABARD Act, 1981 or pledge of Govt. / approved securities under Sec. 21(2)(i) of Act ibid and / or pledge of FDRs of Scheduled Banks under Sec. 33 of Act ibid.

(ग C) अनर्जक आस्तियों(एनपीए) संबंधी मानदंड NPA Norms

31 मार्च 2018 को राज्य सहकारी बैंक की निवल अनर्जक आस्तियां 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए. तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से इन राज्यों में 31 मार्च 2018 को राज्य सहकारी बैंकों की अधिकतम शुद्ध अनर्जक आस्तियों की शर्त 15% होगी. निर्धारित दर से अधिक निवल अनर्जक आस्तियों वाले राज्य सहकारी बैंक अल्पावधि (बुनकर) ऋण सीमा की स्वीकृति के लिए पात्र नहीं होंगे.
Net NPAs of the StCB not to exceed 10% as on 31.03.2018. However, with a view to increase the credit flow in the North Eastern Region, Jammu and Kashmir, Sikkim,

Andaman and Nicobar Islands, Himachal Pradesh and Uttarakhand; the ceiling of net NPA norm criterion in these States will be 15% as on 31.03.2018. The StCBs having net NPA percentage above the prescribed rate will not be eligible for sanction of ST(Weavers) limit.

2. 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. 73/पुनर्वित्त-23/2014 में दिए गए अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगे.

All other terms and conditions detailed in Circular No.73/DoR-23/2014 dated 23 April 2014 will remain the same.